## न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

**रसद आवेदन पत्र संख्या 28/2017**

| **प्रार्थी** | बनाम | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये<br>प्रवर्तन निरीक्षक,बालोतरा | | कुम्भाराम पुत्र मुकनाराम<br>जाति जाट निवासी लापुंदरा<br>तहसील गिड़ा |

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से
2. श्री दामोदर कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 21.02.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा,सिवाना एंव चौहटन द्वारा रूबरू मौतबिरान मैसर्स बजरंग रेस्टोरेंट पचपदरा रोड,बालोतरा के व्यवसाय परिसर की जॉच करने पर होटल मालिक कुम्भाराम पुत्र मुकनाराम उपस्थित मिला। जिसकी मौजूदगी में होटल की जॉच गई। मौके पर इस होटल में चाय,कॉफी बनाकर ग्राहकों को विक्रय का कार्य किया जा रहा था। इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान की वक्त जॉच होटल पर गैस सिलेण्डर नम्बर 312786 आईओसीएल कम्पनी का मार्का लगा एंव व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। मौके पर उक्त होटल में पाये गये घरेलु उपयोग के गैंस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एंव संग्रह करने पर उक्त घरेलु गैंस सिलेण्डर को सीज किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग हेतु संग्रह एंव उपयोग कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी. व 7 सी. का उल्लंघन पाये जाने से बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।
2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दामोदर कुमार हाजिर आये,जिन्होने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 से 03 गलत होने से अस्वीकार करते हए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु उपयोग के गैंस सिलेण्डर का वक्त जॉच मौके पर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था, ज़ो नियमो के विरूद्ध हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैंस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी व 7 सी. का उल्लंघन किया है। इसलिये इसे जब्त सरकार किया जाकर राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करवाई जाए।

4. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि अप्रार्थी से जब्त गैस सिलेण्डर उसके पिता मुकनाराम पुत्र भूराराम के नाम से है जिनका रहवास न्यू बस स्टेण्ड बालोतरा के पास है, जिसका उपयोग घरेलु उपयोग में परिवार के लिये खाना वगैरा बनाने के काम में लिया जा रहा था। जिसे बिना जॉच के बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया है। अप्रार्थी ने घरेलु गैंस का व्यवसाय के रूप में उपयोग नहीं किया है। अप्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा खारिज कर बरामद गैंस सिलेण्डर वापिस दिलाया जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी की उक्त व्यावसायिक होटल से घरेलु उपयोग का गैंस सिलेण्डर वक्त जॉच व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रार्थी ने धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फर्द मौका जॉच बनाई जाकर कब्जे में लिया गया है। प्रस्तुत फर्द मौका जॉच से यह स्पष्ट है कि उक्त बरामद गैस सिलेण्डर 312786 आईओसीएल कम्पनी अप्रार्थी की होटल में लगा हुआ पाया गया। जिस पर चाय व कॉफी बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जाना पाया गया। इससे यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा इस घरेलु गैंस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक अर्थात चाय व कॉफी बनाने में किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त बरामद घरेलु उपयोग के गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एंव संग्रह कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस (प्रदाय और वितरण का विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1 सी व 7 सी का उल्लंघन किया हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद गैस सिलेण्डर नम्बर 312786 आईओसीएल कम्पनी को राजसात (CONFISCATE)किया जाता है। बरामद गैंस सिलेण्डर को सुपुर्दगीनामा पर मैसर्स बालोतरा गैंस सर्विस,बालोतरा को सुपुर्द किया गया है। गैस सिलेण्डर ऑयल कम्पनी की सम्पति है,जिन्हें बाजार में नीलामी द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। लिहाजा उक्त गैंस सिलेण्डर सम्बन्धित आयल कम्पनी को लौटाने एंव गैस सिलेण्डर की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

घरेलु गैंस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह एंव उपयोग कर द्रवित पैट्रोलियम गैंस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप अप्रार्थी से बरामद गैंस सिलेण्डर का गैंस कनेक्शन निरस्त किया जाता है। गैंस कनेक्शन निरस्त करने हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर को पालनार्थ भेजी जाए।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर